सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 33/2017 अपील (RCMS/2017/00125)
पंजीयन दिनांक – 24.05.2017
निर्णय दिनांक – 13.08.2018

1. श्री लादुलाल पिता श्री दोला धाकड, निवासी चावण्डिया, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती हीरी बाई पत्नि स्वर्गीय चम्पा धाकड़, निवासी चावण्डिया, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़।
2. प्रेमी पुत्री स्वर्गीय चम्पा धाकड़, निवासी चावण्डिया, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़।

– रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितिः–
1. श्री नरेश जणवा – वकील अपीलान्ट

अपील अर्न्तगत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय तहसीलदार, बेगूं, प्रकरण संख्या 07/2014 दिनांक 03.05.2017

निर्णय

दिनांक 13.08.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अर्न्तगत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय तहसीलदार, बेगूं, प्रकरण संख्या 07/2014 दिनांक 03.05.2017 के विरुद्ध पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम चावण्डिया, पटवार हल्का खेडी, तहसील बेगूं संख्या 2054–57 की खतौनी संख्या 43, 44, 45, 73, 19 वर्णित

कृषि आराजीयात में स्वर्गीय श्री चम्पालाल पिता श्री लाल जी धाकड, निवासी चावण्डिया, तहसील बेगूं एक सहखातेदार के रूप में दर्ज थे। स्व. श्री चम्पालाल की दिनांक 21.11.2000 को मृत्यु हो गई। रेस्पोडेंट संख्या 1 श्रीमती हीरी बाई स्व. श्री चम्पालाल की पत्नी है एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 श्रीमती प्रेमी पुत्री है। स्व. चम्पालाल की मृत्यु के उपरान्त उक्त सभी खातों में निहित उनकी सहखातेदारी की कृषि भूमि को ग्राम पंचायत खेडी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 170 दिनांक 20.08.2001 से अपीलान्ट श्री लादुलाल के नाम दर्ज कर दी। उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध रेस्पोडेंटस् द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूं के समक्ष अपील प्रस्तुत की। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूं द्वारा निर्णय दिनांक 19.03.2014 से अपील स्वीकार कर प्रकरण मृतक खातेदार के उत्तराधिकारियों की जांच कराते हुए पुनः नामान्तकरण खोलने बाबत तहसीलदार, बेगूं को प्रतिप्रेषित किया।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बेगूं द्वारा उभय पक्षों की बहस सुनकर दिनांक 03.05.2017 को निर्णय पारित किया कि–

> "नामान्तरकरण सं. 170 वर्णित कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति है जैसा कि राजस्व रेकार्ड संख्या 2028 खैतानी सं. 17, 30, 31, 32 तथा सं. 2030 की खैतानी सं. 17, 30, 31, 32 से प्रमाणित है। नामान्तरण कार्यवाही एक संक्षिप्त विचारण की कार्यवाही है। जिसमें वसीयतनामा की वैधता एवं अवैधता या विश्वसनीयता पर कोई राय पर्याप्त साक्ष्य एवं विचारण के पश्चात् ही अभिवक्त की जा सकती है। न्यायालय के समक्ष यह स्वीकार्य तथ्य है कि प्रार्थीगण मृतक खातेदार चम्पा की प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी है जिनके स्वामित्व एवं अधिकारों में किसी प्रकार का संशय नहीं है। मृतक चम्पा को पैतृक सम्पत्ति में अपने हिस्से तक को वसीयत करने का अधिकार था ऐसा अधिवक्ता विपक्षी ने भी स्वीकार किया है। प्रार्थीयॉ हीरी बाई की वसीयतनामा पर अंगुठा निशानी इस बात का प्रमाण नहीं है कि श्रीमती हीरी बाई ने अपना हिस्सा वसीयत किया हो। बल्कि दस्तावेजों के अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि श्रीमती हीरी ने चम्पा द्वारा वसीयत निष्पादित करने में सहमति मात्र दी है इसलिए मेरे विनम्र मत से प्रार्थीगण को अपने 1/3–1/3 हिस्से से उक्त वसीयतनामा से वंचित नहीं किया जा सकता है। वसीयतनामा कितना सही है या नहीं, इसके लिए सक्षम न्यायालय में प्रार्थीगण को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र है किन्तु इस न्यायालय के समक्ष जो प्रथम दृष्ट्यात तथ्य प्रकट हुए है, उससे उक्त नामान्तरकरण सं. 170 वर्णित चम्पा की भूमि में 1/3 हिस्सा विपक्षी लादुलाल पिता दौला, 1/3 हिस्सा श्रीमती हीरी बाई पति चम्पा, 1/3 हिस्सा श्रीमती प्रेम पुत्री चम्पा प्राप्त करने के अधिकारी है। इसलिए इस प्रकार से नामान्तरण खोले जाने का आदेश दिया जाता है। "

उक्त निर्णय दिनांक 03.05.2017 से व्यथीत होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलान्ट उपस्थित। वकील रेस्पोडेंटस्–1 व 2 अनुपस्थित। वकील अपीलान्ट की एक तरफा बहस दिनांक 30.07.2018 को सुनी गई। वकील रेस्पोडेंटस् को निर्णय से पूर्व लिखित बहस पेश करने का अवसर प्रदान किया गया, निर्णय दिनांक 13.08.2018 तक लिखित बहस अप्राप्त।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम चावण्डिया की कृषि भूमि चम्पालाल पिता लालु धाकड़ के स्वामित्व एवं खातेदारी की थी। चम्पालाल जी ने अपने जीवनकाल में अपने कोई पुत्र संतान नहीं होने से अपीलार्थी की सेवा से संतुष्ट होकर अपनी पत्नि हीरी बाई की सहमति से एक वसीयतनामा वर्ष 1994 में निष्पादित कर अपीलार्थी के पक्ष में दो गवाहों के समक्ष तथा अपनी पत्नी की सहमति से पंजीयन कराया इस प्रकार चम्पालाल धाकड़ ने अपने जीवनकाल में अपनी सम्पत्ति की व्यवस्था कर अपीलार्थी लादुलाल को मालिक बनाया। अपीलार्थी चम्पालाल की मृत्यु के पश्चात वसीयत के आधार पर बतौर मालिक होकर काबिज हैं। धारा 40 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदार द्वारा अपनी भूमि के संबंध में कोई वसीयत या दस्तावेज निष्पादित करने पर उक्त वसीयत के अनुसार स्वामित्य तय होगा। अगर कोई खातेदार कोई अपनी भूमि के संबंध में व्यवस्था अपने जीवनकाल में नही करता है तभी उसके उत्तराधिकार के अधिनियम के तहत भूमि का अध्ययन होगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत को न मान कर उत्तराधिकार के आधार पर आदेश पारित किया जो निरस्त योग्य है। रेस्पोडेंटस् को उत्तराधिकार में हक तभी प्राप्त होता है जब खातेदार अपनी भूमि की व्यवस्था अपने जीवन काल में नही करता है। जहा तक लिखित दस्तावेज एवं पंजीकृत है उसके मुकाबले मौखिक बयान की कोई अहमियत नहीं रहती है। प्रस्तुत प्रकरण में वसीयत प्रभावी होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चम्पालाल की भूमि को 1/3 हक से विरासत के आधार पर निर्णय पारित किया जो निरस्त योग्य है।

हमने उपस्थित अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि श्री चम्पालाल के फौत होने के बाद नामान्तकरण संख्या 170 स्वीकृत किये जाने से पूर्व मृतक खातेदार की पत्नि श्रीमती हीरीबाई एवं उसकी पुत्री प्रेमी, को सुना जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। सहायक कलक्टर, बेगूं द्वारा भी यह माना गया कि किसी भी पंजीकृत

दस्तावेज पर निर्णय किये जाने से पूर्व उसके सम्बन्ध में पूर्ण सुनवाई की जानी चाहिए थी जो नहीं की गई एवं मृतक खातेदारान के वारिसान के बारे में जॉच करते हुए उक्त नामान्तरकरण प्रमाणित किया जाना चाहिए था। ऐसी स्थिति में सहायक कलक्टर, बेगूं द्वारा प्रकरण तहसीलदार, बेगूं को मृतक खातेदार चम्पालाल पिता लाला धाकड़ के वारिसान के जांच कराते हुए सही नामान्तकरण खुलवाने बाबत प्रतिप्रेषित किया। तहसीलदार, बेगूं द्वारा प्रकरण में उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तथ्यों की परीक्षण उपरान्त गांव चावण्डिया के नामान्तरण संख्या 170 निर्णित दिनांक 20.08.2001 में वर्णित कृषि आराजीयात को मृतक के स्थान पर लादुलाल, रेस्पोडेंटस् श्रीमती हीरी बाई एवं प्रेमी नाम 1/3–1/3–1/3 के रूप में दर्ज कर नामान्तकरण खोलने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश में तहसीलदार, बेगूं द्वारा सभी तथ्यों पर पूर्णतया परीक्षण एवं विचार किया जाना प्रतीत होता है। साथ ही तहसीलदार, बेगूं द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.05.2017 में कोई विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है। जिससे हम अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। तहसीलदार, बेगूं द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.05.2017 बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर